

निदेशक कार्यालय
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

फा.सं.40-30/2025-स्था.।

दिनांक: 10 मार्च, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: एम्स में दवा एवं चिकित्सा उपकरण सुरक्षा निगरानी के प्रभावी कार्यान्वयन संबंधी।

प्रभावी रोगी उपचार, नुकसान को कम करने और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में विश्वास बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा प्रक्रियाओं के संबंध में रोगी सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है। अतः दवा सुरक्षा (भारत का फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम) और चिकित्सा उपकरण सुरक्षा (भारत का मेटेरियोविजिलेंस प्रोग्राम) की निगरानी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं।

एम्स, नई दिल्ली इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों का एक हिस्सा है और अधिदेश के अनुसार, यह संस्थान की जिम्मेदारी है कि वह दवाओं/चिकित्सा उपकरणों से होने वाली सभी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्ट एम्स, नई दिल्ली के भेषजगुण विज्ञान विभाग में निगरानी केंद्र को दे। एम्स, नई दिल्ली रोगी सुरक्षा उपायों के सामंजस्य के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का नोडल केंद्र भी है।

चिकित्सा प्रक्रियाओं की सुरक्षा की निगरानी करना संस्थान में काम करने वाले सभी स्वास्थ्य उपचार कर्मियों (एचसीपी) की नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए, सभी चिकित्सकों, नर्सों और संबद्ध एवं परा चिकित्सा स्टाफ से आग्रह किया जाता है कि वे स्वेच्छा से प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्ट भेषजगुण विज्ञान विभाग को दें, जहाँ से रिपोर्ट को आगे की समीक्षा के लिए संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रमों को भेजा जाएगा।

एम्स, नई दिल्ली के (फा.सं.10-74/2014-स्था.। दिनांक 22 सितंबर 15) और भारतीय फार्माकोपिया आयोग (फाइल संख्या पी.11020/01/2018-पीवीपीआई दिनांक 31/07/2018) के पत्रों के संदर्भ में, डॉ पूजा गुप्ता और डॉ सुधीर चंद्र सारंगी अस्पताल प्रशासन के समन्वय में इन गतिविधियों के लिए समन्वयक और उप समन्वयक हैं। भेषजगुण विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसलिए, उपर्युक्त कार्यक्रमों के तहत दवा और उपकरण सुरक्षा निगरानी गतिविधियों के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है। यह समिति प्रतिकूल घटनाओं के आंकड़ों को एकत्र करेगी और उनका विश्लेषण करेगी और गाजियाबाद में भारतीय फार्माकोपिया आयोग के राष्ट्रीय केन्द्र को नियमित रिपोर्ट भेजेगी। यह समिति संस्थान में रोगी सुरक्षा गतिविधियों का विस्तार भी करेगी और उन्हें अनुकूल बनाएगी।

रोगी सुरक्षा एवं दुष्प्रभाव निगरानी संबंधी समिति:

1. डॉ. निरुपम मदान, चिकित्सा अधीक्षक - अध्यक्ष
2. डॉ. डी.एस. आर्य, विभागाध्यक्ष भेषजगुण विज्ञान - सदस्य
3. डॉ. मनीष सोनेजा, काय चिकित्सा - सदस्य
4. डॉ. कनिका जैन, अस्पताल प्रशासन - सदस्य
5. डॉ. पूजा गुप्ता, भेषजगुण विज्ञान - केंद्र समन्वयक
6. डॉ. सुधीर चौधरी सारंगी, भेषजगुण विज्ञान - उप समन्वयक एवं सदस्य-सचिव

चिकित्सा अधीक्षक, केन्द्र प्रमुख/विभागाध्यक्षगण/एकक/प्रभाग के प्रभारीगण, मुख्य परिचर्या अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे प्रतिकूल घटना रिपोर्ट एकत्र करने के लिए टीम को पहुंच प्रदान करें और उनके साथ काम करने वाले स्वास्थ्य उपचार कर्मियों (एचसीपी) को दवाओं और चिकित्सा उपकरणों से होने वाली प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करें।

(प्रो. एम श्रीनिवास)
निदेशक

वितरण: (इसे अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों में भी परिचालित करने के अनुरोध सहित)

1. संकायाध्यक्षगण (शैक्षिक, अनुसंधान, परीक्षा)
2. अपर निदेशक (प्रशासन)
3. चिकित्सा अधीक्षक (एम्स)
4. चिकित्सा अधीक्षक (रा.प्र.के.)
5. सभी केंद्र-प्रमुखगण/अध्यक्ष, एनसीआई, झज्जर
6. सभी विभागाध्यक्षगण
7. वरिष्ठ वित्त सलाहकार
8. उप-सचिव
9. कुल-सचिव
10. प्रशासनिक अधिकारी, समन्वय प्रकोष्ठ
11. प्रभारी-आचार्य, कम्प्यूटर सुविधा
12. सचिव-सह-वैज्ञानिक निदेशक कार्यालय, भारतीय फार्माकोपिया आयोग

**OFFICE OF THE DIRECTOR
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
Ansari Nagar, New Delhi-110029**

F.No.40-30/2025-Estt-I

Dated: 10 March 2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Effective implementation of drug and medical device safety monitoring at AIIMS

Patient safety, with respect to medical interventions, is critical in ensuring effective patient care, minimizing harm, and maintaining trust in healthcare systems. MoHFW therefore has national programs for monitoring drug safety (Pharmacovigilance Program of India) and medical device safety (Materiovigilance Program of India).

AIIMS, New Delhi is a part of these national programs and per the mandate, it is the responsibility of the institute to report all adverse events occurring with drugs/medical devices to the monitoring center in the Department of Pharmacology, AIIMS New Delhi. AIIMS, New Delhi is also the MoHFW nodal center for harmonization of patient safety measures.

Monitoring the safety of medical interventions is a moral responsibility of all healthcare professionals (HCPs) working at the institute. Therefore, all doctors, nurses, and allied and paramedical staff are urged to voluntarily report the adverse events to the Department of Pharmacology from where the reports will be sent to be respective national programs for further review.


With reference to the letters by AIIMS, New Delhi (NoF.10-74/2014-Estt.I dated 22 Sept 15) and by Indian Pharmacopoeia Commission (File no P.11020/01/2018-PvPI dated 31/07/2018), Dr Pooja Gupta and Dr Sudhir Chandra Sarangi are the Coordinator and Deputy Coordinator for these activities, in coordination with the hospital administration. The Head of the Department of Pharmacology also desires to be a part of the program. Therefore, the following committee is constituted to supervise drug and device safety monitoring activities under the above-mentioned programs. This committee will collect and analyze adverse effect data and send regular reports to the National Centre at Indian Pharmacopoeia Commission at Ghaziabad. The committee will also expand and optimize the patient safety activities in the institute.



The Committee for Patient Safety and Adverse Effect Monitoring:

1. Dr. Nirupam Madan, Medical Superintendent – Chairperson
2. Dr. D.S. Arya, HoD Pharmacology – Member
3. Dr. Manish Soneja, Medicine – Member
4. Dr Kanika Jain, Hospital Administration – Member
5. Dr Pooja Gupta, Pharmacology – Centre Coordinator
6. Dr Sudhir Ch. Sarangi, Pharmacology – Deputy Coordinator & Member Secretary

The Medical Superintendent, Chief of Centers/ Heads of Departments/ Units/ Divisions, CNO are directed to provide access to the team to collect adverse event reports and encourage the HCPs working with them to report adverse events with drugs and medical devices.

 10/3/2025
(Prof. M. Srinivas)
Director

Copy to: (With request to also circulate it to all officials under their control)

- Dean/s (Academic, Research, Examination)
- Addl. Director (Admin)
- Medical Superintendent (AIIMS)
- Medical Superintendent (RPC)
- Chiefs of all Centres/Head, NCI Jhajjar
- Heads of all Departments
- Sr. Financial Advisor
- Deputy Secretary
- Registrar
- AO, Coordination Cell
- Prof. I/c Computer Facility
- O/o Secretary-cum-Scientific Director, Indian Pharmacopoeia Commission